

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्रमांक- 692/मप्रविनिआ/2024, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा 2 के खण्ड (यघ) तथा (यझ) के साथ पठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ड) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 को पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण द्वितीय) 2024 {आरजी-39(II), वर्ष 2024}

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :-

- (1) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, (पुनरीक्षण द्वितीय), 2024 {आरजी-39(II), वर्ष 2024} कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:-

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम (Act)" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;
 - (ख) "अनुबन्ध/करार (Agreement)" से अभिप्रेत है, कि वितरण अनुज्ञापिधारी तथा उत्पादोभोक्ता (Prosumer) अथवा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध /करार ;
 - (ग) "बिलिंग कालावधि (Billing Period)" से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके लिए आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट नियमित विद्युत देयक वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए तैयार किये जाते हैं ;
 - (घ) "आयोग (Commission)" अथवा मप्रविनिआ (MPERC) से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

- (ड) “उपभोक्ता (Consumer)” से अभिप्रेत है, एक उपभोक्ता जैसा कि इसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है ;
- (घ) “संविदा मांग (Contract Demand) या स्वीकृत मांग (Sanctioned Load)” से अभिप्रेत है, यथास्थिति किलोवाट (KW), किलोवाट एम्पीयर (KW), या अश्वशक्ति (HP), में उच्चतम भार (Load) जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है जैसा कि इसका उल्लेख संविदा अनुबन्ध/करार में किया गया है (घरेलू तथा एकल फेज गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर) जैसा कि घरेलू तथा एकल फेज गैर घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबन्ध या स्वीकृत भार में इसका उल्लेख किया गया है ;
- (छ) “वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distributio Licensee) या अनुज्ञप्तिधारी (Licensee)” से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ;
- (ज) “विद्युत प्रदाय संहिता (Electrical Supply Code)” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा उसके पश्चात्वर्ती संशोधन ;
- (झ) “पात्र उपभोक्ता (Eligible Consumer)” से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में विद्युत का कोई उपभोक्ता जो अपने स्वयं के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का समस्त या आंशिक भाग (शुद्ध मापन व्यवस्था तथा समूह शुद्ध मापन व्यवस्था के प्रकरण में) बिना किसी भाग के {सकल मापन व्यवस्था तथा प्रतीयमान (apparent) शुद्ध मापन व्यवस्था के प्रकरण में} समायोजन (ऑफसेट) का उपयोग करने का इच्छुक है जिसके अनुसार इन विनियमों के प्रावधानों के अध्याधीन ऐसी प्रणालियां उपभोक्ता हेतु स्व-स्वामित्वयुक्त या रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (RSCO) द्वारा स्थापित पट्टायुक्त हो सकती हैं ;
- (ञ) “वित्तीय वर्ष (Financial Year)” या “वर्ष (Year)” से अभिप्रेत है, ग्रेगोरियन कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि ;
- (ट) “सकल मापन (Gross Metering)” से अभिप्रेत है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में स्थापित की गई ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पादित की गई कुल ऊर्जा इन विनियमों में निर्धारित किये गये उपबन्धों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई विद्युत-दर (टैरिफ) पर क्रय की जाती है और वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोज्य खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) पर, उत्पादोभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई कुल ऊर्जा के प्रति, भुगतान हेतु आकलन (क्रेडिट) प्रदान करने के पश्चात् उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के समक्ष उसकी कुल खपत हेतु अपने देयक प्रस्तुत करता है ;

(ठ) “समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering)” अथवा जीएनएम (GNM) से अभिप्रेत है, कोई व्यवस्था जिसके अनुसार ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली या मूल उपभोक्ता (Parent Consumer) के समायोजित परिसर में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) आवेशित अधिशेष ऊर्जा शुद्ध मापयन्त्र (Net Meter) के माध्यम से ग्रिड को निर्यात की जाती है तथा निर्यात की गई (exported) ऊर्जा मूल उपभोक्ता के उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में अवस्थित एक से अधिक संख्या में विद्युत सेवा संयोजनों के माध्यम से समायोजित की जाती है ;

(ड) “शुद्ध मापन व्यवस्था (Net Metering) तथा समूह शुद्ध मापन व्यवस्था (Group Net Metering) हेतु अन्तर्संयोजन बिन्दु (Interconnection Point)” से अभिप्रेत है, सकल मापन (Gross Metering) हेतु उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के निर्गामी छोर (Outgoing Terminal) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली का अन्तर्संयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता(गण) उच्च दाब स्तर (HT level) पर संयोजित हो/हों तो “अन्तर्संयोजन बिन्दु (Interconnection Point)” का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मापन उपकरण के बहिर्गामी छोर से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली/प्रणालियों से होगा ;

(ढ) “सकल मापन व्यवस्था (Gross Metering) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering Arrangement)” से अभिप्रेत है, उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में मापयन्त्र के प्रवेशी छोर (Incoming Terminal) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली का अन्तर्संयोजन :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) उच्च दाब स्तर (HT Level) पर संयोजित हो तो “अन्तर्संयोजन बिन्दु (Interconnection Point)” का अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मापन उपकरण के प्रवेशी छोर (Incoming Terminal) से सहयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से होगा ;

(ण) “बीजक (Invoice)” से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक देयक/पूरक देयक या मासिक बीजक/पूरक बीजक ;

(त) “केडब्ल्यूपी (kwp)” से अभिप्रेत है, किलोवाट पीक (शीर्ष) ;

(थ) “शुद्ध मापन (Net Metering)” से अभिप्रेत है, ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य बिलिंग कालावधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, उसे (वितरण अनुज्ञप्तिधारी को) समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन

एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार स्थापित नेट मीटर द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त विद्युत प्रदाय के समायोजन पश्चात प्रदान की जाती है ;

- (द) “आबंधित इकाई (Obligated Entity)” से अभिप्रेत है, एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति के आदेशाधीन है तथा जिसे समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन}(पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम 2021 के अधीन चिन्हांकित किया गया है ;
- (ध) “मूल उपभोक्ता (Parent Consumer)” से अभिप्रेत है, कोई उपभोक्ता जिसके परिसर में एक ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से आवेशित (Charged) संग्रहण (storage battery) ऊर्जा प्रणाली की स्थापना शुद्ध मापन (Net Metering) तथा समान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में पात्रता धारित रखने वाले प्रतिभागी उपभोक्ता संयोजनों के प्रतीयमान शुद्ध मापन तथा समूह शुद्ध मापन के प्रयोजन हेतु की गई है।
- (न) “प्रतिभागी उपभोक्ता (participating Consumer)” या लाभार्थी (Beneficiary)” से अभिप्रेत है, कोई पूर्व चिन्हांकित उपभोक्ता (Pre identified consumer) जिसके द्वारा इन विनियमों के विनियम 6(ड) के अनुसार एक वचन पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है तथा जो किसी प्रतीयमान शुद्ध मापन (VNM) या समूह शुद्ध मापन (GNM) व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से आवेशित बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) के साथ या उसके बगैर भी ग्रिड पारस्परिक विकरणीय ऊर्जा प्रणाली से निर्यातित ऊर्जा (exported energy) प्राप्त करता है ;
- (प) “प्रतिभागी संयोजन (Participating Connections)” से अभिप्रेत है, समूह शुद्ध मापन व्यवस्था (GN Arrangement) के अन्तर्गत प्रतिभागी उपभोक्ता या लाभार्थी ;
- (फ) “परिसर (Premises)” से अभिप्रेत है, कोई भूमि, भवन या संरचना या उसका कोई भाग या कोई संयोजन जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के मापन हेतु पृथक मापयंत्र (मीटर) या मापन की व्यवस्था की गई है ;
- (ब) “उत्पादोभोक्ता (Prosumer)” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत के उपभोग के साथ-साथ समान आपूर्ति के बिन्दु का उपयोग करते हुए ग्रिड में विद्युत का अन्तःक्षेपण (इन्जेक्ट) भी कर सकता है, जैसा कि वह शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग), समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल नेट मीटरिंग) व्यवस्था के प्रकरण में प्रयोज्य है ;
- (अ) “नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र (Renewal Energy Generation Meter)” से अभिप्रेत है, कोई मापयन्त्र जिसे समय-समय पर यथासंशोधित

केविप्रा (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार किया गया है तथा ऊर्जा मापयन्त्र जिसका उपयोग सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल नेट मीटरिंग) व्यवस्था शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) तथा समूह शुद्ध मापन व्यवस्था के लेखांकन एवं मापन के प्रयोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा के मापन हेतु किया जाता है ;

- (म) “नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (Renewable Energy Generation System or Renewal Energy System)” से अभिप्रेत है, किसी उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) अथवा रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कम्पनी {जिसे एतद् पश्चात् ‘रेस्को (RESCO)’ कहा गया है} के स्वामित्व में, पट्टाकृत (leased) और/या संचालित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत प्रणाली जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा विद्युत में परिवर्तन (conversion) हेतु ऐसे उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के स्वामित्व वाले परिसर में स्थापित ऊर्जा के संग्रहण के साथ या उसके बगैर भी करती है ;
- (य) “रेस्को (RESCO)” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या कोई इकाई/संस्था जो उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में परस्पर सम्मत शर्तों (mutually agreed terms) पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यापार में सन्निहित है ;
- (कक) “खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर आदेश (Retail Supply Tariff Order)” से अभिप्रेत है आयोग द्वारा जारी आदेश जो विद्युत-ऊर्जा तथा सेवाओं की खुदरा आपूर्ति हेतु किसी वितरण अनुज्ञापिधारी के संबंध में विभिन्न श्रेणियों को लागू होता है ;
- (खख) “संग्रहण (Storage)” से अभिप्रेत है ऊर्जा संचयन प्रणाली जिसके अन्तर्गत ठोस अवस्थिति बैटरियों (Solid State Batteries) या अन्य किन्हीं प्रौद्योगिकियों के समकक्ष विधियों तथा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संचयन ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के संचयन हेतु विद्युत के प्रकार में संचित ऊर्जा को प्रदाय हेतु किया जाता है ;
- (गग) “व्यवस्थापन कालावधि (Settlement Period)” से अभिप्रेत ऐसी कालावधि से है जिसके समापन पर यथास्थिति शुद्ध आकलित (नेट क्रेडिटेड) यूनिटों या आकलित आगे बढ़ाई गई (Carryforward) राशि की शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग), समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग), सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल मीटरिंग) व्यवस्थाओं का संचालन वितरण अनुज्ञापिधारी तथा उत्पादोभोक्ता के मध्य घटित होता है जो सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेण्डर वर्ष के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष के सितम्बर माह के तीसवें दिवस को समाप्त होता है ; और

(घघ) "प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल नेट मीटरिंग)" से अभिप्रेत है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अथवा बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (BESS) से उत्पादित समग्र ऊर्जा को उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के स्वामित्व वाले परिसर में स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा मापयन्त्र (मीटर)/सकल मापयन्त्र (ग्रॉस मीटर) से ग्रिड को निर्यात किया जाता है तथा निर्यात की गई ऊर्जा को समान (same) वितरण अनुज्ञापिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के भीतर अवस्थित एक से अधिक संख्या में प्रतिभागी उपभोक्ताओं के विद्युत सेवा संयोजनों के अन्तर्गत परस्पर सम्मत शर्तों पर समायोजित किया जाता है।

प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम या आयोग के अन्य विनियमों में इनके लिए प्रयुक्त हैं। इन विनियमों तथा अधिनियम में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में, इनके लिए अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे।

3. विस्तार तथा प्रयोज्यता (Scope and Application) :-

1. ये विनियम निम्न प्रयोजनों हेतु लागू होंगे :

- क. शुद्ध मापन व्यवस्था (Net Metering Arrangement)
- ख. समूह शुद्ध मापन व्यवस्था (Group Net Metering Arrangement)
- ग. सकल मापन व्यवस्था (Gross Metering Arrangement)
- घ. प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था (Virtual Net Metering Arrangement)

2. ये विनियम शुद्ध मापन, समूह शुद्ध मापन, सकल मापन तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों (Grid Interactive Renewable Energy Generation Systems) को लागू होंगे।

4. शुद्ध मापन (Net Metering) समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering), सकल मापन (Gross Metering) एवं प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) व्यवस्थाओं की सामान्य शर्तें:-

1. शुद्ध मापन, समूह शुद्ध मापन, सकल मापन एवं प्रतीयमान शुद्ध मापन, व्यवस्थाओं को बिना किसी पक्षपात के तथा वितरण ट्रांसफार्मर-वार 'प्रथम आए प्रथम पाए' आधार पर समस्त पात्रता रखने वाले उपभोक्ता को यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी जो ऐसे वितरण अनुज्ञापिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को स्थापित करने के इच्छुक हैं :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञापिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) के ऐसी प्रणाली के साथ अन्तर्संयोजन का दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित या फिर जैसा कि इसे भविष्य में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अन्तर्गत निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों के अनुसार जैसा कि वे समय-समय

पर यथसंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक विनियम, 2013, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2021 में निर्दिष्ट किये गये हैं, वहन किया जाएगा।

2. समस्त श्रेणियों का पात्र उपभोक्ता 500 (पांच सौ) किलोवाट क्षमता तक की शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापना कर सकेंगे :

परन्तु यह कि विद्यमान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो पूर्व ही से शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके द्वारा 500 (पांच सौ) किलोवाट से अधिक की क्षमता स्थापित की गई है, द्वारा इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन की सुविधा की प्राप्ति जारी रखी जाएगी।
3. समस्त श्रेणियों का पात्र उपभोक्ता 100 (एक सौ) किलोवाट क्षमता से कम हेतु समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं।
4. समस्त श्रेणियों का पात्र उपभोक्ता एक मेगावाट क्षमता तक हेतु सकल मापन (Gross Metering) व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं।
5. समस्त श्रेणियों के पात्र उपभोक्ता 100 किलोवाट क्षमता से कम हेतु प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं।
6. कोई उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो शुद्ध मापन (Net Metering) व्यवस्था धारित करता हो, को इन विनियमों के अधीन समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering) व्यवस्था की पात्रता नहीं होगी।
7. कोई उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जो शुद्ध मापन (Net Metering) व्यवस्था धारित करता हो को इन विनियमों के अधीन प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) व्यवस्था की पात्रता नहीं होगी।
8. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का न्यूनतम आकार जिसकी स्थापना शुद्ध मापन (Net Metering), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering), सकल मापन (Gross Metering) और प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) व्यवस्था के अधीन की जा सकती है, एक किलोवाट होगा।
9. शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की क्षमता, उपभोक्ता की संविदा मांग (Contract Demand) (मांग-आधारित टैरिफ के प्रकरण में) अथवा स्वीकृत भार

(Sanctioned Load) (स्वीकृत भार-आधारित टैरिफ के प्रकरण में) से अधिक न होगी जैसा कि वह यथास्थिति लागू हो :

परन्तु यह कि समूह शुद्ध मापन मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) व्यवस्था के अधीन पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली/प्रणालियों की क्षमता उपभोक्ताओं/संयोजनों की संविदा मांगों (मांग-आधारित टैरिफ के प्रकरण में) अथवा स्वीकृत भारों (स्वीकृत भार-आधारित टैरिफ के प्रकरण में) के योग से अधिक न होगी, जैसा कि वह यथास्थिति लागू हो।

10. पात्र उपभोक्ता जिनके विरुद्ध वितरण अनुज्ञापिधारी को देय बकाया राशि का भुगतान लम्बित हो, को इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन (Net Metering), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering), सकल मापन (Gross Metering) और प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) व्यवस्था प्राप्ति की पात्रता नहीं होगी।
11. ऐसे पात्र उपभोक्ता जो इन विनियमों के अधीन शुद्ध मापन व्यवस्था अथवा सकल मापन व्यवस्था धारित करते हों, को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तों) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2021 तथा समय-समय पर जारी होने वाले अनुवर्ती संशोधनों के अधीन सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
12. समूह शुद्ध मापन तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन इन विनियमों के अन्तर्गत पात्र मूल उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ताओं को समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तों) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2021 निर्बाध (खुली) पहुंच सुविधा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

परन्तु यह कि मूल उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता की ओर से प्रतिभागी उपभोक्ताओं को इन विनियमों को विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार ऊर्जा चक्रण इन विनियमों के विनियम 16 एवं 17 के अंतर्गत प्रभारों के भुगतान के अध्याधीन किये जाने की अनुमति होगी।

13. शुद्ध मापन (Net Metering), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering) सकल मापन (Gross Metering) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) (उन्हें छोड़कर जैसा कि मूल उपभोक्ता तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं के मध्य सम्मत किया जाए) व्यवस्थाओं के अन्तर्गत तृतीय पक्ष विक्रय (Third Party Sale) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
14. किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रकरण में भले वह स्वयं के स्वामित्व में हो या फिर RESCO द्वारा पट्टे (lease) पर प्रदान किया गया हो को शुद्ध मापन व्यवस्था (Net Metering Arrangement) या शुद्ध मापन व्यवस्था (Gross Metering Arrangement) के अधीन उत्पादोभोक्ता (Prosumer) के परिसर पर स्थापित किया जाता है तो उत्पादोभोक्ता को बैंकिंग प्रभारों, चक्रण प्रभारों,

प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge) तथा अतिरिक्त प्रभार से छूट प्रदान की जाएगी।

15. किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रकरण में भले वह स्वयं के स्वामित्व में हो या फिर RESCO द्वारा पट्टे (lease) पर प्रदान किया गया हो को प्रदान किया गया हो, की स्थापना प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था (Virtual Net Metering), उत्पदोभोक्ता/मूल उपभोक्ता तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं के अधीन परिसर में की जाती है को बैंकिंग प्रभारों, प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge), अतिरिक्त अधिभार (additional surcharge) में छूट प्रदान की जाएगी व चक्रण प्रभार तथा हानियां प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) के वोल्टेज स्तर के अनुसार केवल प्रयोज्य उपभोक्ता(ओं) पर लागू होंगी।
16. किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रकरण में भले वह स्वयं के स्वामित्व में हो या फिर RESCO द्वारा पट्टे (lease) पर प्रदान किया गया हो की स्थापना प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering), उत्पदोभोक्ता मूल उपभोक्ता तथा प्रतिभागी उपभोक्ता(ओं) के परिसर में की जाती है तो बैंकिंग प्रभारों, प्रतिराज्यानुदान अधिभार, व अतिरिक्त अधिभार में छूट प्रदान की जावेगी। उसे {यथासंशोधित मप्रविनिआ (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों और बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 के अनुसार प्रयोज्य उपबन्धों के अनुसार चक्रण प्रभार तथा हानियों केवल प्रतिभागी उपभोक्ताओं को वोल्टेज स्तर के अनुसार प्रयोज्य होगा।
17. समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन संयोजनों (Virtual Net Metering Connections) के प्रकरण में वोल्टेजवार हानियों जैसा कि वे आयोग के प्रभावशील खुदरा उपभोक्ता आपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अधीन प्रयोज्य हो प्रतिभागी उपभोक्ताओं के खाते में आकलन (crediting) किये जाने से पूर्व चक्रण ऊर्जा पर प्रयोज्य होगी। चक्रण प्रभार, प्रतिराज्यानुदान अधिभार, अतिरिक्त अधिभार (यदि प्रयोज्य हों) तो यथास्थिति वे प्रतिभागी उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य प्रयोज्य होंगे जैसा कि आयोग के प्रभावशील खुदरा उपभोक्ताआपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अधीन प्रतिभागी उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य हों।

5. वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता (Capacity of Distribution Transformer) :-

वितरण अनुज्ञप्तिधारी शुद्ध मापन (Net Metering), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering), सकल मापन (Gross Metering) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) के अधीन यथास्थिति नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के संयोजन हेतु उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता के वार्षिक आधार पर अद्यतन (update) करेगा तथा निर्दिष्ट प्रपत्र-1 में अपनी वेबसाईट पर सूचना प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी विशिष्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर अनुज्ञेय की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की संचयी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 80% से अधिक न होगी :

परन्तु आगे यह और कि उच्च दाब ट्रांसफार्मर के प्रकरण में, शुद्ध मापन, समूह शुद्ध मापन, सकल मापन तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापित क्षमता ऐसे उपभोक्ता हेतु विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने वाले वितरण या ट्रांसमिशन अनुज्ञप्तिधारी के ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता के 80% से अधिक न होगी।

6. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा आवेदन शुल्क(Processing of application and application fee) :-

वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं के परिसर में या परिसर के बाहर यथास्थिति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना हेतु प्रक्रिया को सुगम बनायेगा। इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी-

क. आवेदक से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों या यन्त्रों के संस्थापन, अर्न्तसंयोजन तथा मापन व्यवस्था के लिये उनके आवेदन ऑनलाइन पोर्टल का सृजन करेगा तथा इसे नियमित आधार पर अद्यतन करेगा।

ख. अपनी वेबसाइट पर प्रमुख रूप से और अपने समस्त कार्यालयों में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात् :-

एक. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना तथा उसे क्रियाशील करने हेतु, मानकीकृत प्रक्रिया का विवरण ;

दो. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर इसे क्रियाशील किये जाने हेतु उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिये सम्पर्क का कोई एकल बिन्दु ;

तीन. उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष क्रमांक जहां भरे-गये आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं ;

चार. ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों/दस्तावेजों की पूर्ण सूची ;

पांच. आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले प्रयोज्य प्रभार ;

छ. सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के प्रलाभ के लिये पैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची ; और

सात. उपभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत देय यथा प्रयोज्य वित्तीय प्रोत्साहन तथा वेब सम्पर्क (web links), यदि इस बारे में कोई उपलब्ध हो।

ग. वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्रपत्र की सॉफ्ट प्रति को अपनी वेबसाइट पर तथा आवेदन प्रपत्र की हार्ड प्रति को अपने स्थानीय मैदानी कार्यालयों पर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

- घ. उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूमर) अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से उसकी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से संयोजित करने बाबत आवेदन शुद्ध मापन (Net Metering), सकल मापन (Gross Metering), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering) या प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering) संयोजनों के अनुमोदन हेतु विनियम के साथ परिशिष्टबद्ध अनुलग्नक 2 से 5 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में मय रु 1000 (रूपये एक हजार मात्र) के पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) शुल्क के संबंधित वितरण, अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय पर या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।
- ङ. समूह शुद्ध मापन (group net metering) प्रतीयमान शुद्ध मापन (virtual net metering) के प्रकरण में समूह शुद्ध मापन तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन के समस्त लाभार्थी उपभोक्ताओं/संयोजनों द्वारा अनुलग्नक-6 या अनुलग्नक-8 में वचन-पत्र (undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा।
- च. यदि आवेदन को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी प्राप्ति के पश्चात उक्त आवेदन हेतु पंजीकरण संख्या प्रदान की जाकर पावती की सूचना तत्काल आवेदक को प्रेषित की जाएगी। हार्ड कॉपी को स्कैन किया जाएगा तथा प्राप्त होने पर तत्काल इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किया जाता है तो आवेदक के प्रस्तुतिकरण के बाद पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा। किसी आवेदन को पावती के साथ पंजीकरण संख्या के सृजन की तिथि को इसे प्राप्त समझा जाएगा। आवेदन के विभिन्न चरणों जैसे कि आवेदन की प्राप्ति स्थल निरीक्षण, मापयंत्र संस्थापन और क्रियाशील होने की स्थिति के अनुश्रवण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब-आधारित अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या आधारित आवेदन खोजबीन (ट्रैकिंग) तन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- छ. वितरण अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन 20 दिवस के भीतर पूर्ण करेगा तथा आवेदक को यथास्थिति ई-मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने बाबत, मय प्राक्कलित राशि जमा करने तथा उपभोक्ता रेस्को (RESCO) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले करार/अनुबन्ध की प्रति के साथ सम्प्रेषित करेगा।

परन्तु यह कि छत-शीर्ष (रूफ टाप) सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों की स्थापना हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी संभाव्यता (technical feasibility) को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करेगा तथा आवेदक को आवेदन की स्वीकृती/निरस्त किये जाने बाबत ई-मेल/SMS/डाक के माध्यम से यथास्थिति मय जमा की जाने वाली अनुमानित राशि तथा उपभोक्ता/RESCO द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ आवेदक को सम्प्रेषित करेगा :

परन्तु आगे यह और कि छत शीर्ष (रूफ टॉप) सौर वोल्टिक प्रणालियों के प्रकरण में, यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी संभाव्यता (technical feasibility) के निष्कर्ष के बारे में 15 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर सूचित करने में विफल रहता हो तो शुद्ध मापन संबंधी आवेदन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत किया गया समझा जाएगा। रूफ टॉप सौर फोटो वोल्टिक प्रणाली को संयोजकता प्रदान करने हेतु जिस हेतु आवेदन स्वीकृत किया गया समझा गया है के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 30 दिवस के भीतर एक विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (detailed standard operating procedure-SOP) तैयार करेगा ताकि इसे पोर्टल पर विशिष्ट रूप से करेगा।

- ज. भुगतान की पूर्ण राशि प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन का अनुमोदन करेगा तथा आवेदक को इसकी सूचना अनुमोदन पत्र (Letter of Approval-LOA) द्वारा ई-मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन की पावती जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि 10 किलोवाट पूर्ण क्षमता तक के रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन बिना किसी तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के स्वीकार कर लिये मान लिये जाएंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत भार/संविदा मांग के बारे में सम्मेल्य वृद्धि (commensurate enhancement) के बारे में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करेगा जिस हेतु विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से 30 दिवस के भीतर तैयार की जाएगी तथा इसे पोर्टल पर विशिष्ट रूप से अपलोड किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि संभाव्यता अध्ययन की समयावधि के दौरान या फिर सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों की स्थापना के पूर्ण होने तक समझी गई स्वीकृति (deemed acceptance) के बारे में, यदि वितरण अधोसंरचना के उन्नयन की, जैसे कि सेवा लाइन में अभिवृद्धि, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता तथा इसी प्रकार सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों हेतु वांछित क्षमता की स्थापना हेतु कोई आवश्यकता हो तो इसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामाक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक द्वारा यथास्थिति क्रियान्वित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि 5 किलोवाट की क्षमता तक के सौर वोल्टिक प्रणालियों की स्थापना में सुविधा के लिये वितरण अधोसंरचना के सुदृढीकरण की लागत, वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि वह आवश्यक हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवयकता में सम्मिलित की जाएगी।

- झ. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संस्थापन पश्चात्, सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों को छोड़ कर मूल उपभोक्ता (parent consumer)/उत्पादोभोक्ता

(प्रोज्यूमर)/रेस्को (RESCO) वितरण अनुज्ञापिधारी को स्थापना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापिधारी स्थापना प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर संयोजन करार/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, मापयंत्र (मीटर) की स्थापना करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको सफलतापूर्वक क्रियाशील करने संबंधी कार्रवाई पूर्ण करेगा :

इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने से तीस दिवस के भीतर संविदा करार/अनुबन्ध और स्थापना प्रमाण-पत्र के प्ररूपों को वितरण अनुज्ञापिधारी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

परन्तु यह कि सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों के प्रकरण में, वितरण अनुज्ञापिधारी मूल उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता/रेस्को (RESCO) द्वारा स्थापना प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वितरण अनुज्ञापिधारी संयोजन अनुबन्ध को हस्ताक्षरित करने का कार्य मापयंत्र (मीटर) की स्थापना तथा सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों की सफलतापूर्वक क्रियाशील होने के पश्चात स्थापना प्रमाण पत्र की प्रस्तुति की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर पूर्ण करेगा।

- ट. उत्पादोभोक्ता के पास अनुज्ञापिधारी द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टताओं (specifications) के अनुरूप अपेक्षित मापयंत्र (मीटर) को स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा जिसका परीक्षण तथा संस्थापन वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा किया जाएगा।
- ठ. वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट उपरोक्त समय-सीमाओं का परिपालन किया जाएगा। विलम्ब की स्थिति में किसी यथोचित कारण के बिना अनुज्ञापिधारी विशिष्ट प्रकरणों में, विलम्ब का औचित्य दर्शाते हुए, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- ड. वितरण अनुज्ञापिधारी की ओर से विलम्ब के प्रकरण में, अनुज्ञापिधारी द्वारा उपभोक्ता को चूक के प्रत्येक दिवस के लिये रु. 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
- ढ. वितरण अनुज्ञापिधारी उत्पादोभोक्ताओं को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत यथाउपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन अन्तरित करेगा।
- ण. किसी विवाद की स्थिति में उपभोक्ता/उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर)/रेस्को (RESCO) संबद्ध वितरण अनुज्ञापिधारी के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेंगे।

7. ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन (Inter Connection with Grid) :-

1. वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के तन्त्र (नेटवर्क) से अन्तर्संयोजन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2013, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय)

विनियम 2010 तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2024 या फिर जैसा कि भविष्य में इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, में दर्शायी गयी विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स), मानकों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

2. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) या रेस्को (RESCO) जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की स्थापना करता है, मापन व्यवस्था तक सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये उत्तरदायी होगा तथा इसके परे प्रणाली के सुरक्षित परिचालन, संधारण तथा किसी त्रुटि में सुधार के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।
3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी दुर्घटना या क्षति की रोकथाम हेतु उसकी वितरण प्रणाली को ऐसी किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीसे आशंका/क्षति की संभावना पाये जाने पर किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये इसे विच्छेदित करने का अधिकार होगा। वितरण अधिकारी द्वारा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) या रेस्को (RESCO) को युक्तिसंगत समय के भीतर त्रुटि में सुधार के लिये बुलाया जा सकेगा।
4. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अनभिप्रेत द्वीपीय परिस्थितियों (अनइन्टेंडिड आइलैण्डिंग कंडीशन्स) को खोजने में सक्षम होना चाहिए। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था या ग्रिड के विफल हो जाने पर ग्रिड में किसी प्रकार के पोषण (फीडिंग) की रोकथाम हेतु प्रणाली द्वारा द्वीपीय रोधी संरक्षण व्यवस्था धारित की जानी चाहिए। ग्रिड संयोजित प्रतीपकों (इन्वर्टर्स) के बारे में द्वीपीय रोकथाम उपायों के परीक्षण हेतु IEC/IEEE के प्रयोज्य तकनीकी मानकों का अनुसरण करना होगा।
5. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) बैटरी समर्थक (बैकअप) के साथ या उसके बगैर भी ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि उत्पादोभोक्ता संग्रहण (स्टोरेज) हेतु संयोजन के लिये विकल्प का चयन करता हो तो प्रतीपक (इन्वर्टर) में ग्रिड विद्युत प्रदाय के अभाव में ग्रिड के भीतर विद्युत प्रवाह की रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा यह भी कि उसे एक स्वचालित व्यवस्था के साथ-साथ हस्तचालित वियोजन स्विच (मैनुअल आइसोलेशन स्विच) भी उपलब्ध कराना होगा।
6. प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को, एक स्वचालित तुल्यकालिक यन्त्र (ऑटोमेटिक) सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस) के साथ सज्जित किया जाएगा।
7. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में ऊर्जा के अन्तःक्षेपण से पूर्व प्रतीपकों द्वारा हार्मोनिक्स तथा अन्य विकृतियों के निस्स्यन्दन (फिल्ट्रेशन) की विशिष्टताएं धारित की जाएंगी। कुल वोल्टेज हार्मोनिक विकृति, अर्थात्, टोटल वोल्टेज हार्मोनिक (डिस्टॉरशन) (THD) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC)/IEEE तकनीकी मानकों में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रखी जाएगी।

8. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन:-

8क. शुद्ध मापन व्यवस्था (Net Metering Arrangement) :-

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूसर्स) को नियमित बिलिंग अवधि के अनुसार द्वि-दिशात्मक मापयन्त्र वाचन का दायित्व वहन करेगा।
2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :
 - क. बिलिंग अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र द्वारा अभिलेखित विद्युत उत्पादन की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - ख. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में अन्तःक्षेपित की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - ग. बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - घ. शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा ;
 - ङ. पिछली बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ;
 - च. आगामी बिलिंग अवधि हेतु आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा ; और
 - छ. नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन अनुपालन (आरपीओ कम्प्लायंस) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये यूनिटों की संख्या।
3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा को उत्पादोभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई ऊर्जा खपत के विरुद्ध निम्न रीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा :
 - क. यदि बिलिंग अवधि के दौरान निर्यात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या आयात की गई यूनिट संख्या से अधिक होतो विद्युत की आधिक्य मात्रा को विद्युत की आकलित (क्रेडिट) संख्या के रूप में आगामी बिलिंग अवधि हेतु आगे स्थानान्तरित (कैरी फारवर्ड) कर दिया जाएगा :

ख. यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या निर्यात की गई यूनिटों की संख्या से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी आकलित (क्रेडिट) की गई यूनिटों की संख्या का समायोजन करने के पश्चात विद्युत खपत हेतु इसका बीजक (invoice) प्रस्तुत करेगा ; और

परन्तु यह कि यदि ऐसे प्रकरण में जहां उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत-दर (टाइम ऑफ डे टैरिफ) के विस्तार क्षेत्र में हो वहां किसी समय-खण्ड (जैसे कि व्यस्ततम घंटे, अव्यस्ततम घंटे, आदि) में विद्युत उत्पादन को सर्वप्रथम उसी समय-खण्ड के विद्युत उत्पादन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। किसी बिलिंग अवधि के अन्तर्गत किसी अन्य समयखण्ड में विद्युत खपत से अधिक संचयी विद्युत उत्पादन को इस प्रकार लेखांकित किया जाएगा जैसे कि आधिक्य विद्युत उत्पादन अव्यस्ततम समयखण्ड के दौरान घटित हुआ हो :

परन्तु यह और भी कि विनियम 8 के खण्ड 8(क) के उप-खण्ड, 3(क), तथा 3(ग) के अधीन आयातित यूनिटों द्वारा यथस्थिति न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मापदण्डों या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभारों की तुष्टि उपभोक्ता की तत्संबंधी श्रेणी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के संबंध में की जाएगी, अन्यथा यथास्थिति, न्यूनतम ऊर्जा प्रभार प्रयोज्य होंगे।

4. व्यवस्थापन अवधि के समापन पर असमायोजित विद्युत की शुद्ध आकलित यूनिट संख्या के प्रति राशि चालू वित्तीय वर्ष में 15 नवम्बर तक पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत के बराबर दर पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय होगी। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कोई भी दर उपलब्ध न हो तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत-दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि पवन या सौर प्रणाली को छोड़कर अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में प्रयोज्य दर औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (रिटेल सप्लाय टैरिफ) आदेश में ऐसी अवधि हेतु अवधारित की जाए :

परन्तु आगे यह और कि व्यवस्थापन अवधि के प्रारंभ में आगे बढ़ाई गई अन्तःक्षेपित विद्युत की संचयी यात्रा को शून्य पर पुनर्स्थापित किया जाएगा।

5. ऐसे प्रकरणों में जहां खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर आदेश में स्थाई प्रभारों की गणना खपत किये गये यूनिटों की मात्रा के आधार पर की जाती है वहां स्थाई प्रभारों की गणना ग्रिड से आयात की गई विद्युत यूनिटों की संख्या के आधार पर की जाएगी।
6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता विद्युत-दर (टैरिफ) के अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये अन्य प्रभारों के साथ-साथ शासन द्वारा अधिरोपित अन्य कोई कर/शुल्क (ड्यूटी)/उपकर (सेस) शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर आधारित बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की पात्रता होगी।
7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरुद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।
8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में इसका निपटान समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।
9. शुद्ध मापन व्यवस्था के अन्तर्गत ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन का निदर्शी उदाहरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है।

8 ख. समूह शुद्ध मापन (group net metering) :-

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी मूल उपभोक्ता के नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन मापयन्त्र/नेट मापयन्त्र के साथ-साथ समसत प्रतिभागी संयोजनों हेतु वाचन का दायित्व नियमित बिलिंग अवधि के अनुसार वहन करेगा।
2. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये, वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्न जानकारी बिलों पर मूल उपभोक्ता तथा उसके संयोजनों के लिये तैयार करेगा :
 - (क) बिलिंग अवधि के दौरान कुल उत्पादित/अन्तःक्षेपित की गई विद्युत की मात्रा, मूल उपभोक्ता देयक में प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
 - (ख) चक्रित ऊर्जा (wheeling energy) में से हानियों के कारण घटाई गई ऊर्जा की मात्रा;

- (ग) प्राथमिकता के अनुसार बिलिंग अवधि में ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली अन्तःक्षेपित की गई कुल ऊर्जा जिसे विद्युत का मात्रा में समायोजित किया गया है तथा प्रत्येक प्रतिभागी संयोजन देयक में उपभोक्ता द्वारा घोषित किया गया अनुपात, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
- (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी बिलिंग अवधि में प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा;
- (ङ.) शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा;
- (च) पूर्व बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा, तथा
- (छ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये यूनिटों के लिये केवल मूल उपभोक्ता के देयक में नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (renewal purchase obligation) में उपयोग किये गये यूनिटों की संख्या
3. समूह शुद्ध मापन (GNM) व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा को उत्पादोभोक्ता के ऊर्जा खपत देयक के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उसी उत्पादोभोक्ता के प्रतिभागी संयोजनों के बारे में निम्न रीति के अनुसार किया जाएगा:
- (क) यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान उत्पादोभोक्ता द्वारा आयातित विद्युत यूनिटों की मात्रा नियति किये गये विद्युत यूनिटों से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपना बीजक/(invoice) उत्पादोभोक्ता को क्रेडिट किये गये यूनिटों के समायोजन पश्चात करेगा :
- (ख) ऐसे प्रकरण में जहां मूल उपभोक्ता समयानुपाती टैरिफ विस्तार क्षेत्र (time of day tariff ambit) में आता हो वहां किसी समय खण्ड में मूल उपभोक्ता की विद्युत खपत (जैसा कि व्यस्ततम घंटों, अव्यस्ततम घंटों, आदि) की प्रथमतः क्षतिपूर्ति उसी समय-समय में नियति की गई विद्युत के साथ की जाएगी। कोई भी संचयी आधिक्य निर्यात जो किसी बिलिंग अवधि में किसी अन्य समय खण्ड से अधिक हो का लेखांकन इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि आधिक्य आयात अव्यस्ततम समय खण्ड में घटित हुआ हो :
- (ग) यदि नियति किये गये विद्युत यूनिटों की मात्रा मूल बिलिंग अवधि के दौरान मूल उपभोक्ता की खपत से अधिक हो तो ग्रिड को निर्यात की गई आधिक्य मात्रा को उसी बिलिंग

अवधि में उसी मूल उपभोक्ता के प्रतिभागी संयोजनों की खपत के विरुद्ध समायोजन पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि प्रतिभागी संयोजनों की विद्युत खपत को प्रथमतः संयोजनों की उसी बिलिंग अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा नियति की विद्युत से समायोजित किया जाएगा। कोई भी अधिशेष उत्पादन/निर्यात को किसी बिलिंग अवधि में खपत से अधिक होने पर उसे उसी बिलिंग अवधि में लेखांकित किया जाएगा, जैसा कि अधिशेष उत्पादन/ऊर्जा निर्यात समयानुपाती उपभोक्ताओं हेतु अव्यततम समय खण्ड के दौरान तथा गैर-समयानुपाती उपभोक्ताओं हेतु किसी भी समय खण्ड में घटित हुआ हो :

परन्तु आगे और कि ऐसे प्रकरण में जहां निर्यात किये गये विद्युत यूनिटों की मात्रा तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं को आवंटित की गई मात्रा उसी समयावधि के दौरान उसी बिलिंग अवधि हेतु प्रतिभागी संयोजनों द्वारा आयात की गई मात्रा से अधिक हो वहां विद्युत यूनिटों को आधिक्य मात्रा को प्रतिभागी संयोजनों की आगामी बिलिंग अवधि के दौरान विद्युत के आकलित यूनिटों के रूप में आगे बढ़ाया (carry forward) जाएगा :

परन्तु यह और भी कि मूल तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं के शुद्ध आयातित यूनिटों/खपत को खुदरा आपूर्ति विद्युत दर (टैरिफ) आदेश की तत्संबंधी श्रेणी हो को खपत के आधार पर न्यूनतम प्रभारों की तुष्टि करनी होगी अन्यथा न्यूनतम ऊर्जा प्रभारों मानदण्डों हेतु अवधारित प्रभार या खपत पर आधारित न्यूनतम प्रभार, यथास्थिति, खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश प्रयोज्य होंगे।

(द) मूल उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि प्रतिभागी उपभोक्ताओं के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत के आकलन (क्रेडिट) के अंशदान में परिवर्तन करें तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं के जोड़ या घटाव को भी वर्तमान तथा जोड़े गये प्रतिभागी उपभोक्ता को भी सूचित करते हुए, वर्ष में एक बार एक माह की अग्रिम सूचना के साथ क्रियान्वित करे।

4. बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की तत्संबंधी श्रेणी हेतु टैरिफ अनुसूची के अनुसार तथा खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश सहपठित समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अधीन उपबन्धों के अनुसार बिल किया जाएगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी किन्ही प्रभारों के बारे में बीजक प्रस्तुत करने, जैसा आयोग द्वारा अनुदेय किया जाए तथा शासन द्वारा अधिरोपित किसी कर/शुल्क/उपकर की वसूली करने की पात्रता रखेगा।

5. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये विनियम 8 ख (2) से (4) के अनुसार मूल/प्रतिभागी उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि को सम्मिलित करते हुए शुद्ध बिल (net bill) तैयार करेगा :

परन्तु यह कि यदि मूल तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं द्वारा बिलिंग अवधि हेतु बिल राशि देय हो तो इसका भुगतान बिल की निर्धारित अवधि के भीतर करना होगा।

6. व्यवस्थापना अवधि के अन्त में असमायोजित शुद्ध आकलित यूनिटों हेतु राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की 15 नवम्बर तक देय होगी जिसकी दर मध्यप्रदेश राज्य हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान सौर/पवन ऊर्जा की बोली प्रक्रिया में, यथास्थिति, न्यूनतम टैरिफ दर होगी। यदि पूर्व वर्ष हेतु कोई दर उपलब्ध न हो तो न्यूनतम विद्युत-दर जैसा कि वह अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई हो पर विचार किया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि व्यवस्थापन अवधि के प्रारम्भ में, अन्तःक्षेपित विद्युत की संचित मात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा तथा इसे "शून्य" मात्रा पर पुनः स्थापित किया जाएगा।

7. ऐसे प्रकरणों में जहां स्थाई प्रभारों की संगणना खुदरा अपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार की जाता है वहां स्थाई प्रभारों के संगणना ग्रीड से आयातित विद्युत यूनिटों के आधार पर की जाएगी।
8. जहाँ कोई प्रतिभागी उपभोक्ता को किसी प्रचलित विधि के अन्तर्गत किसी कारण से विच्छेदित (disconnect) किया जाता है वहां उपभोक्ता के असमायोजित यूनिटों/अवशेष क्रेडिटों का भुगतान प्रतिवर्ष व्यवस्थापन अवधि के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
9. उत्पादोभोक्ता (prosumer)/प्रतिभागी संयोजन जिसकी अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के रूप में स्वत्वाधिकार समाप्त हो चुका हो या फिर वह देय राशि का अनुज्ञप्तिधारी के साथ निराकरण कर रहा हो, को तब तक उसे देय राशि, जो समायोजित/आकलित की जाना हो, को प्राप्त कियो जाने की पात्रता नहीं होगी जब तक उसके द्वारा पूर्व अवधि की बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता।
10. बिलिंग में किसी विवाद के प्रकरण में इसका निराकरण समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की

शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 के अनुसार किया जाएगा।

8 ग. सकल मापन व्यवस्था (Gross Metering Arrangement)

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त उत्पादोभोक्ताओं (प्रोज्यूसर्स) हेतु नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार दोनो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा उपभोक्ता मापयन्त्र का वाचन (मीटर रीडिंग) प्राप्त करेगा।
2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु उत्पादोभोक्ता को जारी किये जाने वाले अपने देयक पर हेतु निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायेगा :
 - क. नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में बिलिंग अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र में अभिलेखित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
 - ख. बिलिंग अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से उपभोक्ता द्वारा खपत की गई विद्युत यूनिटों की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - ग. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई ऊर्जा हेतु भुगतान के प्रति आकलित की गई राशि (credited amount), प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ; और
 - घ. नवीकरणीय क्रय आबन्ध अनुपालन (RPO Compliance) हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त यूनिटों की संख्या।
3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत का क्रय पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश राज्य हेतु यथास्थिति, सौर/पवन बोली प्रक्रिया के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत-दर पर किया जाएगा। यदि पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई भी दर उपलब्ध न हो तो अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई न्यूनतम विद्युत-दर (टैरिफ) पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों के प्रकरण में पवन तथा सौर प्रणाली को छोड़कर यह दर प्रयोज्य औसत विद्युत क्रय लागत होगी जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा उक्त अवधि के लिये खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत अवधारित किया जाए।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग अवधि के दौरान ऊर्जा आपूर्ति की बिलिंग तत्संबंधी श्रेणी के उपभोक्ता हेतु विद्युत-दर अनुसूची (टैरिफ)

तथा खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (रिटेल सप्लाई टैरिफ) आदेश सहपठित समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये कोई अन्य प्रभारों तथा शासन द्वारा अधिरोपित किये गये किसी अन्य कर/शुल्क (ड्यूटी)/उपकर (सेस) हेतु बीजक (invoice) प्रस्तुत करने की भी पात्रता होगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक (नेट बिल) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 8ग(3) के अनुसार तथा उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा उपरोक्त विनियम 8ग(4) के अनुसार देय राशि को सम्मिलित करते हुए तैयार करेगा :

परन्तु यह कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक राशि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय हो तो उत्पादोभोक्ता द्वारा इसका भुगतान देयक की निर्धारित तिथि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि बिलिंग अवधि हेतु शुद्ध देयक राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना हो तो इसे अगली बिलिंग अवधि हेतु आकलित (क्रेडिटेड) राशि के रूप में आगे बढ़ाया (carry forward) जाएगा। इस प्रकार की आकलित (क्रेडिटेड) की गई आगे बढ़ाई गई (carry forward) पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ब्याज राशि का भुगतान देय न होगा।

6. प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय आकलित (क्रेडिटेड) आगे बढ़ाई गई राशि का भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से 15 नवम्बर तक करना होगा।
7. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) जिसकी अनुज्ञप्तिधारियों के उपभोक्ता के रूप में पात्रता समाप्त हो चुकी हो या फिर वह अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि के भुगतान का निपटान न कर रहा हो, को समायोजन/आकलन (क्रेडिट) के विरुद्ध देय राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी जब तक वह पूर्व में देय राशियों तथा अन्य प्रयोज्य राशियों की अदायगी न कर दे।
8. बिलिंग के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, इसका निपटान समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय), विनियम, 2021 के उपबन्धों के अधीन किया जाएगा।

8 घ. प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था (Virtual Net Metering Arrangement)

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादोभोक्ता/मूल उपभोक्ता के नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन मापयन्त्र के साथ-साथ मूल उपभोक्ता के समस्त प्रतिभागी उपभोक्ताओं हेतु वाचन का दायित्व नियमित बिलिंग अवधि के अनुसार वहन करेगा।
2. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये, वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्न जानकारी बिलों पर उत्पादोभोक्ता/मूल उपभोक्ता के लिये तैयार करेगा :
 - (क) बिलिंग अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर के द्वारा रिकार्ड की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा कुल उत्पादित की गई विद्युत की मात्रा, मूल उपभोक्ता देयक में प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
 - (ख) बिलिंग अवधि में उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के की प्रणाली से उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा। प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए ;
 - (ग) बिलिंग अवधि में जमा राशि यदि कोई है प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए।
 - (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये यूनितों के लिये केवल मूल उपभोक्ता के देयक में नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (renewal purchase obligation) में उपयोग किये गये यूनितों की संख्या
3. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये, वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्न जानकारी बिलों पर मूल उपभोक्ता के भागीदारी संयोजनों के लिये तैयार करेगा :
 - (क) बिलिंग अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मीटर के द्वारा रिकार्ड की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा कुल उत्पादित की गई विद्युत की मात्रा, मूल उपभोक्ता देयक में प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
 - (ख) चक्रित ऊर्जा (wheeling energy) में से हानियों के कारण घटाई गई ऊर्जा की मात्रा;
 - (ग) बिलिंग अवधि के दौरान, प्रत्येक प्रतिभागी उपभोक्ता के देयक में मूल उपभोक्ता द्वारा घोषित प्राथमिकता तथा अनुपात में, ग्रिड में अंतःक्षेपित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा का समायोजन, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए।

- (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग अवधि में प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा प्रतिभागी संयोजनों के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष दर्शाते हुए;
- (ङ) शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा;
- (च) पूर्व बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा, तथा
- (छ) अगली बिलिंग अवधि में आगे बढ़ाई गई आधिक्य विद्युत की मात्रा।

4. प्रतीयमान शुद्ध मापन (VNM) व्यवस्था के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्यात की गई ऊर्जा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उसी उत्पादोभोक्ता के प्रतिभागी संयोजनों के विद्युत खपत के बारे में निम्न रीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा:

- (क) सभी प्रतिभागी उपभोक्ताओं की विद्युत खपत को सर्वप्रथम उसी बिलिंग अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा निर्यात किये गये विद्युत यूनिटों से प्रतीयमान शुद्ध मापन अनुबंध प्रावधानित प्राथमिकता तथा अनुपात में समायोजित किया जावेगा। कोई भी अधिशेष उत्पादन/निर्यात को किसी बिलिंग अवधि में खपत से अधिक होने पर उसे उसी बिलिंग अवधि में लेखांकित किया जावेगा, जैसा कि अधिशेष ऊर्जा उत्पादन/निर्यात समयानुपाती उपभोक्ताओं हेतु किसी भी समय खण्ड में घटित हुआ हो।
- (ख) यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान निर्यात किये गये तथा प्रतिभागी उपभोक्ता को आवंटित यूनिटों की मात्रा, प्रतिभागी उपभोक्ता द्वारा आयतित विद्युत यूनिटों की मात्रा से अधिक हो तो, ऐसे आधिक्य विद्युत यूनिटों की मात्रा को प्रतिभागी उपभोक्ता की अगली बिलिंग अवधि में विद्युत के आकलित यूनिट के रूप में आगे बढ़ाया जावेगा :
- (ग) यदि किसी बिलिंग अवधि के दौरान प्रतिभागी उपभोक्ता द्वारा आयतित विद्युत यूनिटों की मात्रा नियति किये गये तथा प्रतिभागी उपभोक्ता को आवंटित विद्युत यूनिटों की मात्रा से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपना बीजक/(invoice) प्रतिभागी उपभोक्ता को क्रेडिट किये गये यूनिटों के समायोजन पश्चात करेगा :
- (घ) मूल उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि प्रतिभागी उपभोक्ताओं के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत के आकलन (क्रेडिट) के अंशदान में परिवर्तन करें तथा प्रतिभागी

उपभोक्ताओं के जोड़ या घटाव को भी वर्तमान तथा जोड़े गये प्रतिभागी उपभोक्ता को भी सूचित करते हुए, वर्ष में एक बार एक माह की अग्रिम सूचना के साथ क्रियान्वित करे।

5. बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की तत्संबंधी श्रेणी हेतु टैरिफ अनुसूची के अनुसार तथा खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश सहपठित समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अधीन उपबन्धों के अनुसार बिल किया जाएगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी किन्हीं प्रभारों के बारे में बीजक प्रस्तुत करने, जैसा आयोग द्वारा अनुदेय किया जाए तथा शासन द्वारा अधिरोपित किसी कर/शुल्क/उपकर की वसूली करने की पात्रता रखेगा।

6. ऐसे प्रकरणों में जहाँ नियत प्रभारों की गणना खुदरा विद्युत प्रदाय दरों (tariff) के अनुसार खपत किये गये यूनिटों के आधार पर की जाती हो, नियत प्रभारों की गणना ग्रिड से आयतित यूनिटों के आधार पर की जावेगी।
7. वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिये विनियम 8 ख (2) से (4) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा मूल/प्रतिभागी उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि को सम्मिलित करते हुए शुद्ध बिल (net bill) तैयार करेगा :

परन्तु यह कि यदि मूल तथा प्रतिभागी उपभोक्ताओं द्वारा बिलिंग अविध हेतु बिल राशि देय हो तो इसका भुगतान बिल की निर्धारित अवधि के भीतर करना होगा।

परन्तु यह और कि यदि बिलिंग अवधि के दौरान अतिशेष बिल की राशि वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा देय हो तो ऐसी राशि को आगामी बिल अवधि के लिये आकलित राशि (credit amount) के रूप में आगे बढ़ाया (carry forward) जावेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आगे बढ़ाई गई आकलित राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

8. जहाँ कोई प्रतिभागी उपभोक्ता को किसी प्रचलित विधि के अन्तर्गत किसी कारण से विच्छेदित (disconnect) किया जाता है वहाँ उपभोक्ता के असमायोजित यूनिटों/अवशेष क्रेडिटों का भुगतान प्रतिवर्ष व्यवस्थापन अवधि के अन्त में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।
9. व्यवस्थापना अवधि के अन्त में असमायोजित शुद्ध आकलित यूनिटों हेतु राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की 15 नवम्बर तक देय होगी जिसकी दर मध्यप्रदेश राज्य हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान

सौर/पवन ऊर्जा की बोली प्रक्रिया में, यथास्थिति, न्यूनतम टैरिफ दर होगी। यदि पूर्व वर्ष हेतु कोई दर उपलब्ध न हो तो न्यूनतम विद्युत-दर जैसा कि वह अन्तिम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान पाई गई हो पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि पवन तथा सौर ऊर्जा के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली प्लांट के प्रकरणों में लागू दर आयोग द्वारा उस अवधि में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की खदरा विद्युत प्रदाय दरों (tariff) में अवधारित औसत विद्युत क्रय मूल्य होगा।

परन्तु आगे यह कि व्यवस्थापन अवधि के प्रारम्भ में, अन्तःक्षेपित विद्युत की संचित मात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा तथा इसे "शून्य" मात्रा पर पुनः स्थापित किया जाएगा।

10. उत्पादोभोक्ता (prosumer)/प्रतिभागी संयोजन जिसकी अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के रूप में स्वत्वाधिकार समाप्त हो चुका हो या फिर वह देय राशि का अनुज्ञप्तिधारी के साथ निराकरण कर रहा हो, को तब तक उसे देय राशि, जो समायोजित/आकलित की जाना हो, को प्राप्त कियो जाने की पात्रता नहीं होगी जब तक उसके द्वारा पूर्व अवधि की बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता।
11. बिलिंग में किसी विवाद के प्रकरण में इसका निराकरण समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 के अनुसार किया जाएगा।

9. नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) :-

उत्पादोभोक्ता (प्रोज्युमर) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अधीन शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग), समूह शुद्ध मापन व्यवस्था, सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन अन्तःक्षेपित (inject) की गई विद्युत की मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में नवीकरणीय विद्युत-क्रय आबन्धन (RPO) के अनुपालन हेतु अर्हता होगी।

परन्तु यह कि यदि यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम 2006 के प्रावधानों के प्रावधानों अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्र पर विद्युत मीटर स्थापित किया गया हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी रीडिंग की जाती हो तो ऐसे प्लांट द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत की मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्बंध में नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (RPO) के अनुपालन हेतु अर्हता होगी।

10. मापन व्यवस्था (Metring Arrangement) :-

1. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, के समस्त मापयंत्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006

तथा पश्चातवर्ती संशोधनों का अनुपालन करना होगा। समस्त मापयंत्रों द्वारा प्रगत मापन अधोसंरचना (Advanced Metering Infrastructure-AMI) सुविधामय RS485 (या उच्चतर श्रेणी) के संचार पोर्ट या अन्य कोई प्रगत संचार सुविधा धारित की जाएगी।

2. शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग), सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल नेट मीटरिंग) व्यवस्था में आवश्यकतानुसार एकल फेज या तीन-फेज मापयन्त्र को सम्मिलित किया जाएगा जिसकी स्थापना उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर के भीतर वितरण प्रणाली से अन्तःसंयोजन के उक्त बिन्दु पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार की जाएगी।
3. शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) तथा समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग), व्यवस्था के प्रकरण में उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) के परिसर में विद्यमान मापयन्त्र को समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्धों के अनुसार द्वि-दिशात्मक (bi-directional) मापयन्त्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसकी लागत उत्पादोभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

परन्तु यह कि सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) तथा प्रतीयमान शुद्ध मापन (वर्चुअल नेट मीटरिंग) व्यवस्था के प्रकरण में, मूल/प्रतिभागी उपभोक्ता के परिसर में विद्यमान उपभोक्ता मापयन्त्र की स्थापना की व्यवस्था को ग्रिड से आयात किये गये यूनितों की संख्या के लेखांकन तथा व्यवस्थापन हेतु जारी रखा जाएगा।

4. यदि उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) समयानुपाती विद्युत-दर (टाईम ऑफ डे-TOD Tariff) के विस्तार-क्षेत्र (ambit) में अवस्थित हो तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र तथा स्थापित किया गया उपभोक्ता मापयन्त्र अथवा द्वि-दिशात्मक मापयन्त्र (यथास्थिति) क्रमशः समयानुपाती उत्पादन (TOD generation) तथा खपत के अभिलेखन हेतु सक्षम होगा।
5. वितरण अनुज्ञापिधारी मापयन्त्र उपकरण के परीक्षण, स्थापना तथा अनुरक्षण के साथ-साथ प्रयोज्य मानकों तथा विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुपालन हेतु भी उत्तरदायी होगा।
6. उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) तथा रेस्को (RESCO) को प्रयोज्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों के अनुरूप अपने स्वयं के व्यय पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र अधिप्राप्त करना होगा।
7. द्वि-दिशात्मक मापयन्त्र या उपभोक्ता मापयन्त्र (सकल एवं प्रतीयमान शुद्ध मापन (ग्रॉस एंड वर्चुअल नेट मीटरिंग) के प्रकरण में तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयन्त्र की स्थापना परिसर के भीतर प्रवेशद्वार ही के समीप की जाएगी ताकि मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की इस तक व्यावहारिक सुगम पहुंच संभव हो सके।

8. संस्थापित मापयंत्रों को दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण तथा मुद्रांकित (सील) किया जाएगा तथा इनका परीक्षण तथा जांच उत्पादोभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही की जाएगी। यदि उत्पादोभोक्ता परीक्षण के समय उपस्थित रहने का इच्छुक हो तो उसे विधिवत अग्रिम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

11. शास्ति या क्षतिपूर्ति (Ewnalty or Compensation)

इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट समयसीमाओं की पूर्ति में विफल हो जाने की दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 6(ड) में विनिर्दिष्ट अनुसार उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

12. संयोजन अनुबन्ध/करार (Connection Agreement)

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादोभोक्ता और उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण तन्त्र (नेट वर्क) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के संयोजन के अनुमोदन पश्चात परन्तु प्रणाली से वास्तविक उत्पादन प्रारंभ होने से पूर्व यथास्थिति परस्पर शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग), समूह शुद्ध मापन (Group Net Metering), सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग) या प्रतीयमान शुद्ध मापन (वचफ़अल नेट मापन) संयोजन अनुबन्ध/करार या सकल मापन संयोजन अनुबन्ध/करार का निष्पादन करेंगे।

13. दिशा-निर्देश प्रदान करने की शक्ति (Power to give Directions)

आयोग, समय-समय पर ऐसे दिशा-निर्देश तथा आदेश प्रदान कर सकेगा, जैसा कि वह इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु समुचित समझे।

14. छूट प्रदान करने की शक्ति (Power to Relax)

आयोग, स्वप्रेरणा से या फिर उसके समक्ष इच्छुक पक्षकार द्वारा दायर की गई किसी याचिका पर संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

15. संशोधन करने की शक्ति (Power to Amend)

आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को जोड़ने, बढ़ाने, बदलने, परिवर्तन करने, निलंबित करने, सुधारने, संशोधित करने अथवा निरसित करने संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

16. निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

1. विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022" एवं इसके समस्त संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

2. इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।
3. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।
4. इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अन्तर्गत किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है अथवा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे, निवर्तन कर सकेगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, आयोग सचिव.

टीपः— इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुलग्नक-1

वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता

विवरण (वार्षिक आधार पर अद्यतन किये जाए)

दिनांक की स्थिति में विवरण

ट्रांसफार्मर संकेत (कोड)	ट्रांसफार्मर की अवस्थिति	नेम प्लेट क्षमता (KVA)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतम भार (KVA)	पिछले त्रैमास के दौरान उच्चतम भार (KVA)	संयोजनत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की संचयी (Cumulative) क्षमता (KW/KVA)

अनुलग्नक-2

शुद्ध मापन संयोजन (Net Metering Connection) हेतु आवेदन

प्रति,

कार्यपालन यंत्री/उप महाप्रबंधक,

(संचालन एवं संधारण)/शहर, संभाग, मप्र

विषय:- शुद्ध मापन संयोजन (नेट मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रुड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2023/एवं अनवृत्ति संशोधनों के अनुपालन में मैं अपने परिसर में निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार अपने परिसर में 'शुद्ध मापन संयोजन (नेट मीटरिंग कनेक्शन)' प्राप्त करने के प्रयोजन से इसे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को संयोजित करने का इच्छुक हूँ :

अनुक्रमांक	विवरण	
1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का पता	
3	आवेदक का सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
4	ई-मेली आई डी (Capital) अक्षरों में	
5	आवेदक का दूरभाष/मोबाईल क्रमांक	
6	टैरिफ श्रेणी	
7.	प्रदाय वोल्टेज स्तर	
8	अंतिम जारी विद्युत देयक के अनुसार स्वीकृत भार (लोड)/संविदा मांग (DW/DVA)	
9	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर, पवल, आदि)	
10	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता जिसे संयोजित किया जाना प्रस्तावित है (किलोवाट)	
11	क्या प्रणाली में स्वचालित नियोजन सुरक्षा (Automatic Isolation Protection) मौजूद है। सुविधा उपलब्ध है) (हां/नहीं)	
12	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया गया है ? (हां/नहीं)	

13	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की प्रत्याशित तिथि	
14	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के परीक्षण प्रमाण-पत्र (टेस्ट सर्टिफिकेट) का विवरण	

मैं एतद् द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को ग्रिड संयोजन (connectivity) प्रदान किया जाए या मेरे स्वामित्व/अधिभोग के अधीन परिसर में नियोजन (प्लानिंग) की स्थापना की जाए और 'शुद्ध मापन संयोजनों (नेट मीटरिंग कनेक्शनों)' की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि 'शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग)' हेतु जांच कर ली गई है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसे सत्यापित किया जाता है।

उपभोक्ता का नाम

अभिस्वीकृति

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

निम्न विवरण अनुसार सकल मापन संयोजन

(ग्रॉस मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ :

आवेदक का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

संयन्त्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

प्राप्त दिनांक

—अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम

अनुलग्नक-3

सकल मापन संयोजन (Gross Metering Connection) हेतु आवेदन

प्रति,

कार्यपालन यंत्री/उप महाप्रबंधक,

(संचालन एवं संधारण)/शहर, संभाग, मप्र

विषय:- सकल मापन संयोजन (ग्रॉस मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2023/एवं अनवुर्ती संशोधनों के अनुपालन में मैं अपने परिसर में निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार अपने परिसर में 'सकल मापन संयोजन (ग्रॉस मीटरिंग कनेक्शन)' प्राप्त करने के प्रयोजन से इसे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को संयोजित करने का इच्छुक हूँ :

अनुक्रमांक	विवरण	
1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का पता	
3	आवेदक का सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
4	ई-मेली आई डी (Capital) अक्षरों में	
5	आवेदक का दूरभाष/मोबाईल क्रमांक	
6	टैरिफ श्रेणी	
7.	प्रदाय वोल्टेज स्तर	
8	अंतिम जारी विद्युत देयक के अनुसार स्वीकृत भार (लोड)/संविदा मांग (DW/DVA)	
9	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर, पवल, आदि)	
10	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता जिसे संयोजित किया जाना प्रस्तावित है (किलोवाट)	
11	क्या प्रणाली में स्वचालित नियोजन सुरक्षा (Automatic Isolation Protection) मौजूद है। सुविधा उपलब्ध है) (हां/नहीं)	
12	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया गया है ? (हां/नहीं)	

13	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की प्रत्याशित तिथि	
14	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के परीक्षण प्रमाण-पत्र (टेस्ट सर्टिफिकेट) का विवरण	

मैं एतद् द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को ग्रिड संयोजन (connectivity) प्रदान किया जाए या मेरे स्वामित्व/अधिभोग के अधीन परिसर में नियोजन (प्लानिंग) की स्थापना की जाए और 'सकल मापन संयोजनों (ग्रॉस मीटरिंग कनेक्शनों)' की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि 'सकल मापन (ग्रॉस मीटरिंग)' हेतु जांच कर ली गई है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसे सत्यापित किया जाता है।

उपभोक्ता का नाम

अभिस्वीकृति

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

निम्न विवरण अनुसार शुद्ध मापन संयोजन

(नेट मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ :

आवेदक का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

संयन्त्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

प्राप्त दिनांक

—अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम

अनुलग्नक-4

प्रतीयमान मापन संयोजन (Virtual Metering Connection) हेतु आवेदन

प्रति,

कार्यपालन यंत्री/उप महाप्रबंधक,
(संचालन एवं संधारण)/शहर, संभाग, मप्र

विषय:- प्रतीयमान मापन संयोजन (वर्चुअल मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2023/एवं अनवुर्ती संशोधनों के अनुपालन में मैं अपने परिसर में निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार अपने परिसर में 'प्रतीयमान मापन संयोजन (वर्चुअल मीटरिंग कनेक्शन)' प्राप्त करने के प्रयोजन से इसे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को संयोजित करने का इच्छुक हूँ :

अनुक्रमांक	विवरण	
1	आवेदक उपभोक्ता का नाम, यथास्थिति (मूल संयोजन (Parent Connection) जहां नवीकरणीय (RE) प्रणाली की स्थापना की जाना है/पूर्व ही से स्थापित की जा चुकी है) या नवीकरणीय ऊर्जा (RE) प्रणाली विकास (डेवलपर) का नाम	
2	आवेदक उपभोक्ता/नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली विकासक का पता	
3	आवेदक उपभोक्ता का सेवा संयोजन क्रमांक (यदि प्रयोज्य हो)	
4	आवेदक का ई-मेल आई डी (Capital) अक्षरों में	
5	आवेदक का दूरभाष/मोबाईल क्रमांक	
6	टैरिफ श्रेणी (यदि लागू हो)	
7.	प्रदाय वोल्टेज स्तर	
8	अंतिम जारी विद्युत देयक के अनुसार स्वीकृत भार (लोड)/संविदा मांग (DW/DVA) (यदि लागू हो)	
9	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर, पवन, आदि)	
10	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता जिसे संयोजित किया जाना प्रस्तावित है (किलोवाट) (अ) क्या आवेदित क्षमता 10kw से कम या समान है? हाँ/नहीं (ब) क्या आवेदित क्षमता स्वीकृत भार से कम या समान है? हाँ/नहीं	
11	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रदाय वोल्टेज जिस पर संयोजित किया जाना प्रस्तावित है	
12	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (रूफटॉप सौर प्रणाली, भूमि पर स्थापित प्रणाली (ground mounted)	
13	क्या प्रणाली में स्वचालित नियोजन सुरक्षा (Automatic Isolation Protection) मौजूद है। सुविधा उपलब्ध है) (हां/नहीं)	
14	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया गया है ? (हां/नहीं)	

15	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की प्रत्याशित तिथि	
16	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के परीक्षण प्रमाण-पत्र (टेस्ट सर्टिफिकेट) का विवरण	

लाभार्थी उपभोक्ताओं का वर्णन तथा—किलोवाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित (inject) ऊर्जा से समायोजन की प्राथमिकता तथा अनुपात

सरल क्रमांक	लाभार्थी उपभोक्ताओं के सेवा संयोजनों (सर्विस कनेक्शन की संख्या)	प्राथमिकता	स्वीकृत भार/संविदा मांग	प्रतिशत ऊर्जा जिसे समायोजित किया जाना प्रत्याशित है	मूल उपभोक्ता (Parent Consumer) का संवा संयोजन क्रमांक और स्वीकृत भार/संविदा मांग (यदि कोई हो)	उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				

टीप : इस शर्त के अधीन कि मूल उपभोक्ता (Parent Consumer) के साथ-साथ लाभार्थी उपभोक्ताओं का कुल स्वीकृत भार/संविदा मांग स्थापित किये जाने वाले/पूर्व ही से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता से अधिक न हो, लाभार्थी उपभोक्ताओं की कोई भी संख्या जोड़ी जा सकती है।

मैं एतद् द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को ग्रिड संयोजन (connectivity) प्रदान किया जाए या मेरे स्वामित्व/अधिभोग के अधीन परिसर में नियोजन (प्लानिंग) की स्थापना की जाए और 'समूह शुद्ध मापन संयोजनों (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शनों)' की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि 'समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन)' हेतु जांच कर ली गई है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसे सत्यापित किया जाता है।

उपभोक्ता/नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के विकासक का नाम

उपभोक्ता/नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के विकासक के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

निम्न विवरण अनुसार शुद्ध मापन संयोजन

शुद्ध मापन संयोजन (वर्चुअल नेट मीटरिंग कनेक्शन) हेतु आवेदन प्राप्त हुआ :

आवेदक का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

संयन्त्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

प्राप्त दिनांक

—अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम

अनुलग्नक-5

समूह शुद्ध मापन संयोजन (Group Net Metering Connections) हेतु आवेदन

प्रति,

कार्यपालन यंत्री/उप महाप्रबंधक,
(संचालन एवं संधारण)/शहर, संभाग, मप्र

विषय:- समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शनों) हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रुड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम, 2023/एवं अनवुर्ती संशोधनों के अनुपालन में मैं अपने परिसर में निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार अपने परिसर में 'समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन)' प्राप्त करने के प्रयोजन से इसे नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली को संयोजित करने का इच्छुक हूँ :

अनुक्रमांक	विवरण	
1	आवेदक उपभोक्ता का नाम (मूल संयोजन जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित)	
2	आवेदन उपभोक्ता का पता	
3	आवेदक का सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
4	आवेदक का ई-मेल आई डी (Capital) अक्षरों में	
5	आवेदक का दूरभाष/मोबाइल क्रमांक	
6	स्थापनाकर्ता का ई-मेल आई डी (Capital) अक्षरों में	
7.	स्थापनाकर्ता का दूरभाष/मोबाइल क्रमांक	
8	टैरिफ श्रेणी	
9	प्रदाय वोल्टेज स्तर	
10	अंतिम जारी विद्युत देयक के अनुसार स्वीकृत भार (लोड)/संविदा मांग (DW/DVA)	
11	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार (सौर, पवन, आदि)	
12	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रदाय वोल्टेज जिस पर संयोजित किया जाना प्रस्तावित है	
13	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता जिस पर संयोजित किया जाना प्रस्तावित है (अ) क्या आवेदित क्षमता 10kw से कम या समान है? हाँ/नहीं (ब) क्या आवेदित क्षमता स्वीकृत भार से कम या समान है? हाँ/नहीं	
14	प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (रूफटॉप सौर प्रणाली, भूमि पर स्थापित प्रणाली (ground mounted)	
15	क्या प्रणाली में स्वचालित नियोजन सुरक्षा (Automatic Isolation Protection) मौजूद है। सुविधा उपलब्ध है) (हाँ/नहीं)	
16	क्या पृथक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन मापयंत्र संस्थापित किया गया है ? (हाँ/नहीं)	
17	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के क्रियाशील होने की	

	प्रत्याशित तिथि	
18	नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के परीक्षण प्रमाण-पत्र (टेस्ट सर्टिफिकेट) का विवरण	

लाभार्थी संयोजना का वर्णन तथा-किलोवाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित (inject) ऊर्जा से ऊर्जा समायोजन की प्राथमिकता तथा अनुपात

सरल क्रमांक	सेवा संयोजनों तथा समान उपभोक्ता के लाभार्थी संयोजनों की संख्या	प्राथमिकता	स्वीकृत भार/संविदा मांग	प्रतिशत ऊर्जा जिसे समायोजित किया जाना प्रत्याशित है	मूल उपभोक्ता (Parent Consumer) का संवा संयोजन क्रमांक और स्वीकृत भार/संविदा मांग (यदि कोई हो)
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			

टीप : इस शर्त के अध्यक्षीन कि मूल उपभोक्ता (Parent Consumer) के साथ-साथ लाभार्थी संयोजनों का कुल स्वीकृत भार/संविदा मांग स्थापित किये जाने वाले/पूर्व ही से स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता से अधिक न हो, लाभार्थी उपभोक्ताओं की कोई भी संख जोड़ी जा सकती है।

मैं एतद् द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को ग्रिड संयोजन (connectivity) प्रदान किया जाए या मेरे स्वामित्व/अधिभोग के अधीन परिसर में नियोजन (प्लानिंग) की स्थापना की जाए और 'समूह शुद्ध मापन संयोजनों (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शनों)' की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक साक्ष्य द्वारा समर्थित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि 'समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन)' हेतु जांच कर ली गई है तथा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इसे सत्यापित किया जाता है।

उपभोक्ता का नाम

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

निम्न विवरण अनुसार समूह शुद्ध मापन संयोजन
समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन) हेतु
आवेदन प्राप्त हुआ :

आवेदक का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

संयंत्र क्षमता :

आवेदन पंजीकरण क्रमांक :

प्राप्ति दिनांक

-अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम

अनुलग्नक-6

समूह शुद्ध मापन के अन्तर्गत मूल उपभोक्ता के संयोजन को व्यवस्थापन की प्राथमिक सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत वचन पत्र {Under for incorporating the connections of parent consumer in the priority list of settlement under Group Net Metering (GNM)}

- एक. मैं पुत्र/पुत्री निवासी
.....(जिसे एतद् पश्चात् "GNM मूल उपभोक्ता" कहा गया है), जिस प्रशासक, वारिस, उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी (assigns) सम्मिलित हैं) एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-
- (अ) आवेदन प्रपत्र में दिये गये प्रतिभागी संयोजन मूल उपभोक्ता के अन्य संयोजन हैं।
- (ब) GNM प्रतिभागी संयोजन इस तथ्य से अवगत है कि "GNM आवेदक" द्वारा अपने परिसर में समूह शुद्ध मापन संयोजन (ग्रुप नेट मीटरिंग कनेक्शन), हेतु आवेदन किया है जो में स्थित है।
- (स) GNM प्रतिभागी संयोजन इस बात से अवगत है कि "GNM आवेदक" GNM संयोजन के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु GNM संयोजन द्वारा सर्विस कनेक्शन क्रमांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- (द) GNM प्रतिभागी संयोजन GNM आवेदक को जारी GNM कनेक्शन के साथ संबद्ध लाभ उठाने का इच्छुक है अतएव वह यहां सम्मिलित की गई शर्तों की पुष्टि हेतु तात्कालिक वचन पत्र (Instant undertaking) प्रस्तुत कर रहा है।
- (ई) GNM प्रतिभागी संयोजन इस बात की पुष्टि करता है तथा समझता है कि GNM आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वचन पत्र GNM आवेदक प्रपत्र का भाग होगा तथा इसमें प्रस्तुत की गई घोषणा पत्र तथा वचन इसका भाग माने जाएंगे।

यह कि GNM प्रतिभागी संयोजन एतद् द्वारा अपनी सहमति तथा वचन प्रस्तुत करता है कि :-

- एक. यह कि GNM प्रतिभागी संयोजन विद्युत वितरण कम्पनी के क्रमांक है तथा GNM आवेदक द्वारा में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) से सुविधा प्राप्त करने की सहमती व्यक्त करता है।
- दो. यह कि इस बात पर GNM प्रतिभागी संयोजनको कोई आपत्ति न होगी यदि उसके सेवा संयोजन क्रमांक को GNM आवेदक को जारी GNM कनेक्शन के लाभ ऐसी रीति अनुसार प्राप्त हुई है जैसा कि इनके बारे में GNM आवेदक द्वारा GNM आवेदन में अनुरोध किया गया है/सहमति व्यक्त की गई है, सम्मिलित किया जाता है।
- तीन. GNM प्रतिभागी संयोजन एतद् द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि मप्रविनिआ (ग्रुड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा संबंधित मामले) विनियम, 2023 जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा समय-पर संशोधित किया जाए के प्रावधानों के अनुसार GNM कनेक्शन के अन्तर्गत बिलिंग यूनिटों की गणना तथा लाभा के आकलन (क्रेडिट) हेतु उसे कोई आपत्ति नहीं है।

- चार. GNM प्रतिभागी संयोजन एतद् द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि यथासंशोधित समय-समय पर मप्रविनिआ (ग्रड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा संबंधित मामले) विनियम, 2023 के उपबन्धों पर विचार करते हुए विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यूनितों की गणना या इससे संबंधित जुड़े मामलों के फलस्वरूप बिलिंग यूनितों को पुनरीक्षित किया जा सकता है या फिर अन्य विषयों से संबंधित मामलों के बारे में भी दावे GNM लाभार्थी द्वारा संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे।
- पांच. GNM प्रतिभागी संयोजन ने GNM आवेदक के समक्ष समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) के लाभों की प्राप्ति के बारे में GNM प्रतिभागी संयोजन को सम्मिलित किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की है तथा यह समझता है कि GNM प्रतिभागी संयोजन का नामांक (Nomination) GNM आवेदक के स्वेच्छाधिकार के अधीन है तथा GNM आवेदन, सदैव, GNM प्रतिभागी संयोजन के क्रम परिवर्तन और/या उसे बिना कोई पूर्व सूचना दिये लाभों से वंचित करने हेतु स्वतन्त्रता होगा तथा इस कार्यवाही के फलस्वरूप GNM प्रतिभागी संयोजन से दावा प्राप्त करने हेतु विद्युत वितरण कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा।
- छ. GNM प्रतिभागी संयोजन सदैव विद्युत वितरण कम्पनी को समस्त विधिक वादों/दावों/कार्यवाही/देयताएं जो GNM प्रतिभागी संयोजन द्वारा समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग)के प्रलाभों से जोड़ने से वंचित किये जाने से संबद्ध हैं, से मुक्त रखेगा।
- सात. GNM प्रतिभागी संयोजन, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग किये जाने पर कम्पनी से संबंधित आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज तथा अनुमतियां प्रस्तुत किये जाने का वचन देता है।
- आठ. GNM प्रतिभागी संयोजन संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर इन्हें विद्युत वितरण कम्पनी को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समय-समय पर इस बारे में अधिसूचित किया जाए।
- नौ. GNM प्रतिभागी संयोजन इस बात की पुष्टि करता है तथा सहमति व्यक्त करता है कि इस वचन पत्र में सम्मिलित की गई शर्तों तथा अन्य शर्तों, जैसा कि इनके बारे में उसके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है का उल्लंघन किये जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी को GNM लाभार्थी, को समूह शुद्ध मापन के प्रलाभों से वंचित करने पूर्ण अधिकार होगा।

GNM प्रतिभागी संयोजन का सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

GNM मूल उपभोक्ता/प्रोस्जुमर के हस्ताक्षर :

सत्यापन (Verification)

..... (स्थान का नाम) पर यह सत्यापित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपरोक्त स्वघोषणा की अन्तर्वस्तु सत्य तथा सही है। यह घोषणा भी की जाती है कि कनेक्शन अनुबन्ध में कोई भी शब्द और/या कथन को संशोधित/परिवर्तित/पुनर्गठित नहीं किया गया है जैसा कि इस विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रुप नेट मीटरिंग (GNM) आवेदन में आवश्यक प्रक्रिया हेतु उपलब्ध कराया गया है।

GNM प्रतिभागी संयोजन का सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

GNM मूल उपभोक्ता/प्रोस्जुमर के हस्ताक्षर :

अनुलग्नक-7

शुद्ध मापन व्यवस्था के अधीन ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन संबंधी उदाहरण

निम्नांकित उदाहरण में शहरी निम्न दाब घरेलू श्रेणी उत्पादोभोक्ता (Urban LT Domestic Category Prosumer) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर आदेश (Retail Supply Tariff) की विद्युत-दर अनुसूची (Tariff Schedule) के अनुसार गणना की गई है :

एलवी LV. 1.2

(i) ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed charge)- मीटरीकृत संयोजन हेतु

मासिक खपत स्लैब (यूनिट)	दूरबीनीय लाभ के साथ ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	421	69 प्रति संयोजन	55 प्रति संयोजन
51 यूनिट से 150 यूनिट तक	517	121 प्रति संयोजन	98 प्रति संयोजन
151 यूनिट से 300 यूनिट तक	655	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 26	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 23
300 यूनिट से अधिक	674	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 27	प्रत्येक 0.1 kW (किलोवाट) भार हेतु 26

न्यूनतम ऊर्जा प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु ऊर्जा प्रभारों के संबंध रूपये 70 प्रति संयोजन प्रति माह न्यूनतम प्रभारों के रूप में प्रयोज्य है।

टीप :

- (1) स्थाई प्रभारों को प्रति माह प्रत्येक 15 यूनिट खपत अथवा 0.1 kW (किलोवाट) भार के समकक्ष हेतु अधिरोपित किया जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह में विद्युत खपत 125 यूनिट हो तो स्थाई प्रभार 0.9 kW (किलोवाट) हेतु अधिरोपित किये जाएंगे। यदि विद्युत खपत 350 यूनिट है तो स्थाई प्रभार 2.4 kW (किलोवाट) हेतु अधिरोपित किये जाएंगे।

अवधारणा (Assumption) :

1. स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली : 5 kW (किलोवाट) हेतु
2. प्रतिदिवस औसत सौर उत्पादन : 4 यूनिट प्रति kW (किलोवाट)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां एवं संबंधित मामले) विनियम 2022 के विनियम 7 क के अनुसार ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन

क. जहां ग्रिड से विद्युत का आयात नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत के निर्यात से अधिक है

सरल क्रमांक	देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी	मूल्य	टिप्पणी
1.	बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा	150 यूनिट	
2.	बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए	450 यूनिट	
3.	शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है	300 यूनिट	(2)-(1)-(4) अर्थात् आयात की मात्रा निर्यात से अधिक है तथा पूर्व बिलिंग से आकलित (क्रेडिटेड) यूनिट उपलब्ध नहीं है।
4.	अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	0 यूनिट	
5.	आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	0 यूनिट	
6.	नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की संख्या	150 यूनिट	विनियम 9 से संरेखित

अतएव,

7.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा भुगतान किये जाने वाले ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) 1. शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचारयोग्य = 300 यूनिट(देखें ऊपर सरल क्रमांक 3) {खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर आदेश के अनुसार आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं}	स्लैब	दर/पैसे प्रति (यूनिट)	बिल किये गये यूनिटों की संख्या	राशि (रूपये)
		50 यूनिट तक	421	50	210.50
		51 यूनिट से 150 यूनिट तक	517	100	517.00
		151 यूनिट से 300 यूनिट तक	655	150	982.50
		300 यूनिट से अधिक	674		
कुल ऊर्जा प्रभार (रूपये)					1710.00
8.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा भुगतान किये जाने वाले स्थाई प्रभार (Fixed Charges){(ग्रिड से आयात किये जाने वाले यूनिटों की संख्या पर विचार करते हुए = 450 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 2 के अनुसार)}	450 यूनिट, प्रत्येक 0.1 KW भार, अर्थात् 3 KW हेतु रू. 27 प्रति किलोवाट की दर से			रू. 810.00
9.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को लागू होने वाले अन्य प्रभार (जैसा कि FCA/Tax/Cess आदि) {शुद्ध बिल की गई यूनिट संख्या पर विचार करते हुए = 300 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)}				रू. 100.00 (मानी गई राशि)
10.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय कुल देयक राशि (10=7+8+9)				रू. 2620.00

ख. जहां नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत का निर्यात ग्रिड से आयात की गई विद्युत से अधिक है

सरल क्रमांक	देयक पर दर्शाये जाने वाली जानकारी	मूल्य	टिप्पणी
1.	बिलिंग अवधि के दौरान ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अन्तःक्षेपित विद्युत की मात्रा	450 यूनिट	
2.	बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा, प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष को सम्मिलित करते हुए	300 यूनिट	आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं
3.	शुद्ध बिल की गई विद्युत की मात्रा जिस हेतु भुगतान उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा किया जाना अपेक्षित है	0 यूनिट	(2)-(1)-(4) चूंकि निर्यात की मात्रा आयात से अधिक अतएव आधिक्य यूनिटों को अगले बिलिंग चक्र की ओर आगे बढ़ाया (Carry Forward) जाता है
4.	अन्तिम बिलिंग अवधि से आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	0 यूनिट	
5.	आगामी बिलिंग अवधि को आगे बढ़ाई गई (Carry Forward) आधिक्य विद्युत	150 यूनिट	(1)-(2)-(4)
6.	नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) अनुपालन हेतु वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा उपयोग किये गये नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों की संख्या	450 यूनिट	विनियम 8 से संरेखित

अतएव,

7.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) {शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचार करते हुए = 0 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)} {छुट्टा आपूर्ति विद्युत-दर आदेश के अनुसार आयातित यूनिट न्यूनतम ऊर्जा प्रभार मानदण्डों से अधिक हैं}	स्लेब	दर (पैसे प्रति यूनिट)	रु. 00.00 (चूंकि निर्यात की गई यूनिटों की संख्या आयात की गई यूनिटों से अधिक है, अतएव आधिक्य यूनिटों को अगले बिलिंग चक्र की ओर बढ़ाया (Carry Forward) जाएगा)।
		50 यूनिट तक	421	
		51 यूनिट से	517	
		150 यूनिट तक	655	
		151 यूनिट से 300 यूनिट तक	674	
300 यूनिट से अधिक				
8.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय स्थाई प्रभार (Fixed Charges) {ग्रिड से आयात किये यूनिटों पर विचार करते हुए = 300 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 2 के अनुसार)}	300 यूनिट, प्रत्येक 0.1 KW भार, अर्थात् 2 KW हेतु रु. 26 प्रति किलोवाट की दर से		रु. 520.00
9.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) को लागू होने वाले अन्य प्रभार (जैसा कि FCA/Tax/Cess आदि) {शुद्ध बिल किये गये यूनिटों पर विचार करते हुए = 0 यूनिट (उपरोक्त सरल क्रमांक 3 के अनुसार)}			0.00
10.	उत्पादोभोक्ता (प्रोज्यूमर) द्वारा देय कुल देयक राशि (10=7+8+9)			रु. 520.00

परिशिष्ट-8

प्रतीयमान शुद्ध मापन के अन्तर्गत उपभोक्ता संयोजनों को व्यवस्थापन की प्राथमिक सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत वचन पत्र (Undertaking {Undertaking for Incorporating Consumers Connections in the Priority List of Settlement Under Virtual Net Metring})/सकल मापन (नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग) संयोजन हेतु आवेदन का प्ररूप

- एक. मैं पुत्र/पुत्री निवासी
.....(जिसे एतद् पश्चात् "VNM उपभोक्ता" कहा गया है), जिस प्रशासक, वारिस, उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी (assigns) सम्मिलित हैं) एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-
- दो. VNM उपभोक्ता इस तथ्य से अवगत है कि "VNM आवेदक" द्वारा अपने परिसर में समूह प्रतीयमान मापन संयोजन (वर्जुअल नेट मीटरिंग कनेक्शन), में स्थित है।
- तीन. VNM उपभोक्ता इस बात से अवगत है कि "VNM आवेदक" VNM संयोजन के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु VNM लाभार्थी द्वारा नाम/सर्विस कनेक्शन क्रमांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- चार. VNM उपभोक्ता VNM आवेदक को जारी VNM कनेक्शन के साथ संबद्ध लाभ उठाने का इच्छुक है अतएव वह यहां सम्मिलित की गई शर्तों की पुष्टि हेतु तात्कालिक वचन पत्र (instant undertaking) प्रस्तुत कर रहा है।
- पांच. VNM उपभोक्ता इस बात की पुष्टि करता है तथा समझता है कि VNM आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वचन पत्र VNM आवेदक प्रपत्र का भाग होगा तथा इसमें प्रस्तुत की गई घोषणा पत्र तथा वचन इसका भाग माने जाएंगे।

यह कि VNM लाभार्थी एतद् द्वारा अपनी सहमति तथा वचन प्रस्तुत करता है कि :-

- एक. यह कि VNM लाभार्थी विद्युत वितरण कम्पनी के क्रमांक
..... है तथा VNM आवेदक द्वारा में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) से सुविधा प्राप्त करने की सहमती व्यक्त करता है।
- दो. यह कि इस बात पर VNM लाभार्थी को कोई आपत्ति न होगी यदि उसके सेवा संयोजन क्रमांक को VNM आवेदक को जारी VNM कनेक्शन के लाभ ऐसी रीति अनुसार प्राप्त हुई है जैसा कि इनके बारे में VNM आवेदक द्वारा VNM आवेदन में अनुरोध किया गया है/सहमति व्यक्त की गई है, सम्मिलित किया जाता है।
- तीन. VNM लाभार्थी एतद् द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि मप्रविनिआ (ग्रड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा संबंधित मामले) विनियम, 2023 जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा समय-पर संशोधित किया जाए के प्रावधानों के अनुसार VNM कनेक्शन के अन्तर्गत बिलिंग यूनिटों की गणना तथा लाभा के आकलन (क्रेडिट) हेतु उसे कोई आपत्ति नहीं है।
- चार. VNM लाभार्थी एतद् द्वारा सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि यथासंशोधित समय-समय पर मप्रविनिआ (ग्रड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा संबंधित मामले) विनियम, 2023 के उपबन्धों पर विचार करते हुए विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यूनिटों की

गणना या इससे संबंधित जुड़े मामलों के फलस्वरूप बिलिंग यूनिटों को पुनरीक्षित किया जा सकता है या फिर अन्य विषयों से संबंधित मामलों के बारे में भी दावे VNM लाभार्थी द्वारा संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे।

- पांच. VNM लाभार्थी ने VNM आवेदक के समक्ष समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग) के लाभों की प्राप्ति के बारे में VNM लाभार्थी को सम्मिलित किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की है तथा यह समझता है कि VNM लाभार्थी का नामांक (Nomination) VNM आवेदक के स्वेच्छाधिकार के अध्यधीन है तथा VNM आवेदन, सदैव, VNM लाभार्थी के क्रम परिवर्तन और/या उसे बिना कोई पूर्व सूचना दिये लाभों से वंचित करने हेतु स्वतन्त्रता होगा तथा इस कार्यवाही के फलस्वरूप VNM लाभार्थी से दावा प्राप्त करने हेतु विद्युत वितरण कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा।
- छः VNM लाभार्थी सदैव विद्युत वितरण कम्पनी को समस्त विधिक वादों/दावों/कार्यवाही/देयताएं जो VNM लाभार्थी द्वारा समूह शुद्ध मापन (ग्रुप नेट मीटरिंग)के प्रलाभों से जोड़ने से वंचित किये जाने से संबद्ध है, से मुक्त रखेगा।
- सात. VNM लाभार्थी, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग किये जाने पर कम्पनी से संबंधित आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज तथा अनुमतियां प्रस्तुत किये जाने का वचन देता है।
- आठ. VNM लाभार्थी संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर इन्हें विद्युत वितरण कम्पनी को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समय-समय पर इस बारे में अधिसूचित किया जाए।
- नौ. VNM लाभार्थी इस बात की पुष्टि करता है तथा सहमति व्यक्त करता है कि इस वचन पत्र में सम्मिलित की गई शर्तों तथा अन्य शर्तों, जैसा कि इनके बारे में उसके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है का उल्लंघन किये जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी को VNM लाभार्थी, को समूह शुद्ध मापन के प्रलाभों से वंचित करने पूर्ण अधिकार होगा।

VNM लाभार्थी का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

VNM लाभार्थी के हस्ताक्षर :

सत्यापन (Verification)

..... (स्थान का नाम) पर यह सत्यापित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपरोक्त स्वघोषणा की अन्तर्वस्तु सत्य तथा सही है। यह घोषणा भी की जाती है कि कनेक्शन अनुबन्ध में कोई भी शब्द और/या कथन को संशोधित/परिवर्तित/पुनर्गठित नहीं किया गया है जैसा कि इस विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रुप नेट मीटरिंग (VNM) आवेदन में आवश्यक प्रक्रिया हेतु उपलब्ध कराया गया है।

VNM लाभार्थी का नाम :

सर्विस कनेक्शन क्रमांक :

VNM लाभार्थी के हस्ताक्षर :